प्रसार शिक्षा निदेशालय
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर

पत्र सं० : 85 E(I)/नि•प्र०•शि•/बि•कृ•वि•, सबौर/ 02 **दिनांक : 01.04.2024**

सेवा में,

वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान
कृषि विज्ञान केन्द्र,
बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल,
मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा

विषय : **"कृषि ज्ञान वाहन" का परिचालन संबंधित जिले में कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में।**

प्रसंग : बामेती, पटना का पत्रांक 602 एवं 610 दिनांक 14.03.2024 तथा पत्रांक 612 दिनांक 15.03.2024

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत तैयार कराये गये "कृषि ज्ञान वाहन" एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को प्राप्त कृषि ज्ञान वाहन का परिचालन कृषि विज्ञान केन्द्र के संबंधित जिला में किया जाना है। संबंधित जिले में कृषि ज्ञान वाहन के सफल परिचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शिका को तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

निदेश है कि संलग्न मार्गदर्शिका के आलोक में कृषि ज्ञान वाहन का परिचालन कृषि विज्ञान केन्द्र के संबंधित जिला में कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : "कृषि ज्ञान वाहन" परिचालन संबंधी मार्गदर्शिका।

विश्वासभाजन,

01.4.24

(आर. के. सोहाने)
निदेशक प्रसार शिक्षा

ज्ञापांक : 85 E(I)/नि•प्र०•शि•/बि•कृ•वि•, सबौर/ 02 **दिनांक : 01.04.2024**

प्रतिलिपि :

- संयुक्त निदेशक (शष्य), संबंधित प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले में कृषि ज्ञान वाहन के भ्रमण के दौरान सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक को प्रतिनियुक्त करना चाहेंगे।
- प्रभारी, वर्कशॉप/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि ज्ञान वाहन/सह निदेशक प्रसार शिक्षा/ नियंत्रक/ अधिष्ठाता एवं निदेशक (सभी), बि.कृ.वि., सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- निदेशक, बामेती, पटना/निदेशक प्रसार शिक्षा, डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा/निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.प.वि.वि., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- निदेशक कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01.04.24

निदेशक प्रसार शिक्षा

- कुलपति, बि.कृ.वि., सबौर/बि.प.वि.वि., पटना/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा के आप्त सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

☎ फोन : (0641)2452611 मोबाईल : 919199424640 ईमेल: deebausabour@gmail.com

कृषि ज्ञान वाहन

चतुर्थ कृषि रोड मैप में विशेष प्रयोजन "कृषि ज्ञान वाहन" के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विशेषज्ञों एवं अन्य विषय वस्तु विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों की समस्या के निदान तथा परामर्श के लिए 556.40 लाख रू० की योजना स्वीकृत करते हुए कुल 04 कृषि ज्ञान वाहनों का क्रय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर के माध्यम से कराया गया, जिसमें से 01 वाहन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, 01 वाहन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, 01 वाहन बामेती, पटना तथा 01 वाहन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा संचालित किया जायेगा।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, (BASU), पटना के द्वारा संचालित होने वाला "कृषि ज्ञान वाहन" पूरे राज्य के सभी जिलों का भ्रमण करेगा एवं किसानों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में सम्पूर्ण परामर्श एवं सहायता प्रदान करेगा।

अन्य तीन कृषि ज्ञान वाहन के लिये नीचे दिये अनुसार संस्थावार जिले निर्धारित किये गये है-

"कृषि ज्ञान वाहन" परिचालन से संबद्ध संस्था	संबंद्ध जिलों का नाम
बामेती, पटना	पटना भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालन्दा, जहानाबाद, अरवल
डा० रा० प्र० के० कृ० वि० वि०, पूसा समस्तीपुर	समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा

कृषि ज्ञान वाहन का उद्देश्य :-

किसान-वैज्ञानिक वार्त्ता के माध्यम से वास्तविक समय में फसल और पशु स्वास्थ्य निदान को सक्षम करने के साथ-साथ किसानों के द्वार पर कृषि सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रदान करना।

कृषि ज्ञान वाहन की विशेषताएँ :-

1. कृषि से जुड़ी समस्याओं का किसानों के द्वार पर निराकरण।
2. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं का निदान।
3. खाद्यान्न/बागवानी/ अन्य फसलों के कीट-व्याधि के साथ-साथ पशु एवं पक्षी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान।
4. किसानों के ज्ञान संवर्द्धन के लिए तकनीकी फिल्मों का प्रदर्शन।

5. कृषि प्रसार साहित्य के माध्यम से किसानों का लोक शिक्षण।
6. मिट्टी जाँच नमूनों का संग्रहण।
7. कृषि उपादानों यथा बीज, जैविक खाद, तरल बायो फर्टिलाईजर, पौध सामग्री सहित मशरूम स्पॉन आदि उपलब्ध कराना।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे "कृषि ज्ञान वाहन" के परिचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश-

1. बिहार कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित "कृषि ज्ञान वाहन" बाँका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा जिलों में भ्रमण करेगा।
2. "कृषि ज्ञान वाहन" बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित रूट के आधार पर चलेगा ।
3. जिला स्तर पर "कृषि ज्ञान वाहन" वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र के नियंत्रण में रहकर भ्रमण करेगा। वे अपने जिला में कृषि ज्ञान वाहन के परिचालन के लिये पूर्ण जिम्मेवार होंगे एवं उसकी सुरक्षा तथा उसमें लगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
4. वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान अपने जिले में "कृषि ज्ञान वाहन" का भ्रमण कराने के लिये पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे। उनके द्वारा कृषि ज्ञान वाहन केन्द्र के एक वैज्ञानिक, सहायक निदेशक स्तर के एक पदाधिकारी एवं एक सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रतिनियुक्ति (जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा नामित) "कृषि ज्ञान वाहन" में की जायेगी एवं उसके लिये रूट निर्धारित किया जायेगा।
5. क्षेत्र भ्रमण के समय रात में कृषि ज्ञान वाहन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमण्डल मुख्यालय परिसर/प्रखण्ड मुख्यालय परिसर/ कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में खड़ा किया जायेगा।
6. कृषि ज्ञान वाहन को सबौर से रवाना करने से पूर्व डा० सत्य प्रकाश, प्रभारी पदाधिकारी कृषि ज्ञान वाहन मो० नं०- 9991123843 द्वारा इसमें लगे उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण संबंधित जिला के नामित विषय वस्तु विशेषज्ञ/कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर) को दिया जायेगा। संबंधित जिले के नामित विषय वस्तु विशेषज्ञ/ कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर) के द्वारा "कृषि ज्ञान वाहन" का अगले जिले के संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को इसमें लगे उपरणों को संचालित करने का प्रशिक्षण देगें। जिला में "कृषि ज्ञान वाहन" भ्रमण कराने के उपरान्त वाहन को अगले जिला के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान को या नामित पदाधिकारी/कर्मी को सौंपेंगे एवं वाहन को सौंपते समय इसमें लगे उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण अगले जिला के पदाधिकारी/ कर्मी को प्रदान करेंगे। यही क्रम आगे भी चलता रहेगा।
7. "कृषि ज्ञान वाहन" भ्रमण के समय कार्यक्रम स्थल पर अधिक से अधिक किसानों को एकत्र करने की जवाबदेही स्थानीय प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड उद्यान

पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार सभी की होगी। जिला कृषि पदाधिकारी-सह -परियोजना निदेशक, आत्मा इस आशय का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

8. कृषि ज्ञान वाहन में तत्काल 135 तकनीकी एवं किसानों की सफलता की कहानी के विडियो फिल्म अपलोड किये गये है जिसकी सूची वाहन में कम्प्यूटर के पास रखी गई है। किसानों को "कृषि ज्ञान वाहन" में उपलब्ध फिल्मों की सूची के बारे में जानकारी देने के पश्चात उनकी आवश्यकतानुसार विडियो फिल्म दिखाकर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जायेगा।
9. कृषि ज्ञान वाहन में इंटरनेट की कनेक्टीविटी दी गई है। इसका उपयोग कर ऑनलाईन उपलब्ध तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को दिखाई एवं समझायी जा सकती है। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से सीधे जोड़कर किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जा सकेगा।
10. किसी स्थल विशेष पर किसानों को दिखायी गई फिल्मों, वितरित की गई सामग्रियों एवं दी गई जानकारियों को अभिलेखित किया जायेगा। इसके लिये पंजी कृषि ज्ञान वाहन में उपलब्ध है।
11. किसानों को एकत्रित कर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र में उपलब्ध प्रशिक्षण अथवा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि से जलपान आदि पर व्यय किया जा सकेगा। जिला में "कृषि ज्ञान वाहन" वाहन के रूकने की अवधि में ड्राईवर, खलासी एवं प्रसार पदाधिकारी के भोजन आदि की व्यवस्था नियमानुसार की जा सकती है।
12. क्षेत्र में कृषि ज्ञान वाहन के भ्रमण एवं कार्यक्रम आयोजन के समय की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी (जियो लोकेशन टैग) करवाया जायेगा एवं इसे प्रसार शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. जिला में कृषि ज्ञान वाहन के भ्रमण की अवधि में वाहन को चलने में लगने वाला डीजल आवश्यकतानुसार (08 किलोमीटर/लीटर) की औसत से भराया जाना है। वाहन में विडियो फिल्म दिखाने के लिये इलेक्ट्रिक करेंट (15 एम्पीयर के पावर प्लग से) उपलब्ध कराया जायेगा, इलेक्ट्रिक पावर उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में वाहन में वैकल्पिक रूप से जेनरेटर की व्यवस्था है, इस जेनरेटर को चलाने में प्रति घंटा 02 लीटर पेट्रोल की खपत होती है, आवश्यकतानुसार इसमें भी पेट्रोल भराया जा सकता है। भराये गये ईधन का विपत्र प्रसार शिक्षा निदेशालय को समर्पित करने पर नियंत्रक कार्यालय द्वारा उक्त का भुगतान कृषि विज्ञान केन्द्र को किया जायेगा।
14. वाहन में लगने वाले ईधन की गणना की लिये "कृषि ज्ञान वाहन" में एक लॉगबुक संधारित किया जायेगा। संबंधित जिला के नामित पदाधिकारी/कर्मी लॉगबुक को भरना सुनिश्चित करेंगे।

01.04.24

निदेशक, प्रसार शिक्षा
बि.कृ.वि., सबौर